डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्ब0 / 410(463) / 20
दिनांकः— 28-08-2020

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य
श्री सिद्धि विनायक एजूकेशनल महाविद्यालय, रायभा, आगरा (कालेज कोड़—405)

विषयः— श्री सिद्धि विनायक एजूकेशनल महाविद्यालय, रायभा, आगरा को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या—सम्बद्धन / 203 / 2016 दिनांक 24.02.2016 के द्वारा तीन वर्ष तथा पत्र संख्या सम्ब0 / 7020 दिनांक 25-08-2018 के द्वारा (वर्ष 2018—19) एवं पत्र संख्या सम्ब0 / 11795 दिनांक 31.12.2019 के द्वारा (वर्ष 2019—20) **श्री सिद्धि विनायक एजूकेशनल महाविद्यालय, रायभा, आगरा** को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0काम0** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2019 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता विस्तारण करना सूचित किया गया था।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार **श्री सिद्धि विनायक एजूकेशनल महाविद्यालय, रायभा, आगरा** को **वाणिज्य** संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0काम0 पाठ्यक्रम** में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश के (प्रपत्र वी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तो के अधीन यह सम्बद्धता विस्तारण (सत्र 2020—21) दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक (एक वर्ष) के लिये निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगी :—

1. शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं। 2. प्रबंध समिति कालातीत हो चुकी हैं। 3. अग्निशमन प्रमाण पत्र कालातीत हो चुका हैं।

(1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कमियों के साथ—साथ दिनांक 30.10.2020 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक अवश्य पूर्ण करें।

(2) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा—37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार **सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों (जिसमें विश्वविद्यालय से शिक्षकों का अनुमोदन प्रत्येक दशा में अनिवार्य है) को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्रजात जमा कराना अनिवार्य है।**

(3) **महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों के संबिदा पत्र तीन प्रति निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एक प्रति विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।**

(4) **महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण कक्ष (Control Room) में सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं बायोमैट्रिक मशीन लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगने का प्रमाण एवं आई0पी0 एड्रेस कुलपति सचिवालय में (शील्ड लिफाफे) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

(5) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(6) संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम की धारा 12.22 के अन्तर्गत 10 अक्टूबर, 2020 तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(7) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या—2218 / सत्तर—2—2011—16(409) / 2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) महाविद्यालय को अग्रेत्तर सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख / सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को अग्रेत्तर सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्त्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(10) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा तथा संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगा तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(11) संस्था परिसर को रैगिग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(12) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन (ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0—।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(13) **महाविद्यालय द्वारा अग्निशमन का प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में तीन माह में विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।**

(14) पत्र में इंगित पाठ्यक्रमों में 20 प्रतिशत सीट कटौती के साथ सत्र 2020—21 हेतु सम्बद्धता विस्तारण प्रदान किया गया है।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
6. **सचिव / प्रबन्धक, श्री सिद्धि विनायक एजूकेशनल महाविद्यालय, रायभा, आगरा**
7. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
8. वेबसाईट प्रभारी डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. उप / सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन / परीक्षा)।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव